न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस

मि0न0 – 531/2017

अनवान :-

1. उमर खां वल्द सफी मोहम्मद जाति मिरासी मुसलमान निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत बशीर त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
136 एलआरएक्ट
एसजोईया अधिवक्ता प्रार्थी
जेपी शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 02

निर्णय दिनांक 24/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम बशीर तहसील हनुमानगढ़ जिला श्रीगंगानगर सम्वत 2013 से 2016 के खतौनी जमाबंदी संख्या 63 के खसरा संख्या 79 में चार बीघा छः बिश्वा आराजी कब्रीस्तान के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो बसिलसिला चकबंदी व मुरब्बाबंदी चक 6 एम. के. एस. के प.न. 198/234 मु.न. 20 कि.न 22, 23 4.न. 198 / 235 मु.न. 28 कि.न. 2, 3 कुल 4 बीघा अनकमाण्ड पर पैमूद हुई, तत्पश्चात उपरोक्त वर्णित आराजी चक 6 एम. के. एस. से तब्दील होकर चक 1 डी. पी. एम. में स्थापित कर दी गई। नकल जमाबंदी ग्राम बशीर संवत 2013 ता 2016 व नकल पर्चा खतौनी चक 6 एम. के. एस. संलग्न दरख्वास्त है । बसिलसिला चकबंदी व मुरब्बाबंदी के वक्त पर्चा खतौनी तैयार करने के दौरान उपरोक्त वर्णित आराजी सहवन पर्चा खतौनी में कब्रिस्तान के स्थान पर गै०मु० मसान दर्ज कर दिया जिसकी वजह से बाद में तैयार होने वाली जमाबंदी (खेवट खतौनी) में भी मसान दर्ज कर दिया, इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में गै०मु० मरघट (श्मशान) दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबंदी ग्राम चक 6 एम.के.एस. संवत 2019 व नकल जमाबंदी चक 1, डी.पी.एम. सम्वत 2071 2074 खाता संख्या 1/1 संलग्न दरख्वास्त है । उपरोक्त वर्णित आराजी हमेशा से ही कब्रिस्तान के रूप में उपयोग व उपभोग होती चली आ रही है तथा आज भी इस आराजी को कब्रिस्तान के रूप में उपयोग व उपभोग किया जा रहा है जिसमें मुस्लिम धर्म के लोगों के मुर्दों को दफन किया जाता है, इस आराजी को कभी भी मसान के काम में नही लिया गया परन्तु पर्चा खतौनी तैयार करते वक्त सहबन से इस आराजी को गै0मु० मसान दर्ज कर दिया जिसकी वजह से यह आराजी आज भी गलत रूप से मश्सान के नाम से दर्ज चली आ रही है। इस गलत अंकन से समाज में कभी भी सांप्रदायिक विवाद हो सकता है तथा इस गलत अंकन की वजह से मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान के लिए राज्य सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता नही मिल पा रही, इसलिए सहवन से हुए इस गलत अंकन को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है ताकि समाज में किसी प्रकार के साम्प्रदायिक विवाद ना हो तथा कब्रिस्तान के लिए राज्य सरकार से वित्तीय सहायता ली जा सके। दरख्वास्त दुरुस्ती अदालतहाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा उचित न्याय शुल्क पर तहरीर है । अतः दरख्वास्त पेश कर

Scanned with CamScanner

अर्ज है कि चक 1 डी.पी.एम के प.न. 198 / 234 गुन 20 कि.न. 22, 23 प.न. 198/235 गुन. 28 कि.न 23 कुल 1.012 है0 आराजी की राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्ती की जाकर गै०मु० मरघट (श्मशान) के स्थान पर कब्रिस्तान दर्ज किये जाने का आदेश जारी किया जाये।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामिल होने के उपरांत अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार राजस्व टिब्बी व अप्रार्थी सं0 2 ग्राम पंचायत की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 1 डीपीएम के प0न0 198/234 के मु0न0 20 के किला न0 22, 23 प0न0 198/235 के मु0न 28 के किला न0 2, 3 कुल 1.012है0 के प0न0 198/234 के मु0न0 20 के किला न0 22, 23 में कमरा एवं मजार बनी हुई है जिस पर हर धर्म सम्प्रदाय के लोग उपस्थित होते है एवं शेष जगह खाली है। मौके पर किसी प्रकार की अन्य कब्र अथवा अन्य उपयोग नहीं हो रहा है। अप्रार्थी सं0 2 ग्राम पंचायत की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या–1 में जमाबंदी रोही बशीर से 2013 से 2016 में खतौनी संख्या – 63 में नही बल्कि खतौनी संख्या – 62 में 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि कब्रिस्तान दर्ज है लेकिन उक्त प्रविष्टी कब्रिस्तान के नाम से गलत दर्ज है। क्योंकि जमाबंदी के खाता संख्या–4 में आराजी राज या कब्रिस्तान दर्ज नही होकर आराजी गैर मकबूजा मजकूर दर्ज है जिस अनुसार यह भूमि कब्रिस्तान नही है तथा यह भूमि मौका पर 4 बीघा 6 बिस्वा अर्सा कदीम से शमशान मरघट की भूमि चली आ रही है तथा यह भी निवेदन है कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2009 से 2012 में मामराज वगैरा हिस्सेदारान मालकान की भूमि थी वा मालकान वा हिस्सेदारान की खातेदारी भूमि में कब्रिस्तान की भूमि नही हो सकती है। भूमि चक बंदी के दौरान प0न0 198/234 पैमूद हुई वा प्रार्थनापत्र में मु0न0 20 गलत लिखा है। वास्तव में यह रकबा मु0न0 20 उस समय प0न0 198/234 का नही था । चकबंदी में भूमि का चक 6 एम. के. एस. के प0न0 198/234 कि0न0 22 से 23 प0न0 198/235 कि०न० 2 से 3 पर फिटिंग होना सही है। उपरोक्तानुसार उक्त भूमि चक 1 डी. पी. एम. में परिवर्तन होना सही है लेकिन ये भूमि कब्रिस्तान की नही होकर श्मशान भूमि थी वा हमेशा हिन्दु जाति के वासीदगान द्वारा श्मशान भूमि के रूप में प्रयोग होती आ रही है। हिन्दू जाति के ग्रामीणों के मृतक व्यक्ति का संस्कार हमेशा से इसी श्मशान भूमि में किया जाता आ रहा है। दफा–2 प्रार्थना पत्र में कथन पर्चा खतौनी तैयार करते वक्त पर्चा खतौनी में कब्रिस्तान के स्थान पर श्मशान दर्ज कर दिया। यह निवेदन है कि चकबंदी चक नम्बर प०न० व किला नम्बर समस्त प्रविष्टीयां तत्सम राज० उपनिवेशन अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी डी. सी. सी. ए.सी. सी. वा कोलोनाईजेशन कमिशनर द्वारा तैयार की गई थी वा पर्चा खतौनी उपनिवेशन अधिकारी डिप्टी कोलोनाईजेशन कमिशनर तथा सहायक कोलोनाईजेशन कमिशनर तथा तहसीलदार गिरदावर के द्वारा तैयार की गई है। क्योंकि रिकार्ड तैयार करते समय सक्षम अधिकारीयों के द्वारा मौका निरीक्षण कर कानूनी प्रक्रिया के जरिये रिकार्ड तैयार किया गया है। रेवेन्यु लाज के तहत किसी भी अभिलेख को तैयार करते समय कोई भी प्रविष्टी में तबदीली बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नही हो सकती । पर्चा खतौनी में जो शमसान की प्रविष्टी पर्चा खतौनी में दर्ज की है वह विधिक प्रक्रिया के तहत बाकायदा पत्रावली मुर्तिब होकर उसमें प्रभावित को सुनकर व मौका दिया जाकर अन्तिम आदेश पारित किया जाता है उसे आदेश की पालना में रिकार्ड की प्रविष्टीयां तब्दीली, परिवर्तन वा रिकार्ड की प्रविष्टीयों के अन्तरण के तहत सक्षम अधिकारी का आदेश पालना के तहत सम्बन्धित तहसीलदार वा अन्य कर्मचारीगण सम्बन्धित को पालना आदेश भेजा जाता है। निवेदन है कि परचा खतौनी में शमशान की भूमि प्रश्नगत की प्रविष्टी सक्षम अधिकारी के आदेश से हुई है। उक्त आदेश को प्रार्थी ने छुपाया है क्योंकि उक्त जारी आदेश की अपील प्रार्थीया अन्य किसी सक्षम समुदाय या उनके किसी नियुक्त या निर्मित गठित जैसे वक्फ बोर्ड आदि ने आज तक अर्थात पिछले

Scanned with CamScanner

60 वर्ष की अवधि में आदेश को निरस्त करने की कोई अपील नही की है । अतः आदेश पारित हो चुका है । पर्चा खतौनी वा उसके अंकन की समस्त प्रविष्टीयां सक्षम अधिकारी के आदेश से हुई हैं। बिना किसी अधिकारी के आदेश से कब्रिस्तान के स्थान पर शमशान मरघट की प्रविष्टी दर्ज नही की गई है । पर्चा खतौनी चकबंदी का प्रथम रिकार्ड है जो सन् 1960 में बनी थी। इस प्रविष्टी के अंकन करने के आदेश की अपील नही की गई वा अपील की अवधि समाप्त हो गई। प्रर्थी के कथन की साम्प्रदायिक विवाद हो सकता है, पूर्णत्या गलत लिखी गई है क्योंकि बशीर ग्रामू में समस्त गाम निवासी हिन्दु समुदाय के हैं इसलिये कोई विवाद होने स्थिति की नही हो सकती स्थिति है, महज रंगत स्वरूप तथ्य दर्ज किये गये हैं । 60 वर्ष के दौरान कोई विवाद आज तक नही हुआ है। शमशान मरघट की प्रविष्टी जमाबंदी से आगे की जमाबंदी में दर्ज नही होकर पर्चा खतौनी रिकार्ड से पर्चा खतौनी के तुरन्त पश्चात् बनी जमाबंदी में दर्ज हुई है। इसलिये प्रार्थनापत्र में चाहा गया अनुतोष धारा 136 एल. आर. ए. के प्रावधान के तहत कवर नही होता है वा दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. ए. के तहत ऐसी शुद्धि नही की जा सकती है। क्योंकि यह प्रविष्टी पूर्व के रिकार्ड से नही हुई है। प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि को कर्बिस्तान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, गलत लिखा है। बल्कि यह भूमि 4 बीघा 6 बिस्वा हिन्दु मृत्यु होने पर संस्कार के रूप में प्रयोग की जा रही है। इस धारा में मुस्लिम समाज को मिलने वाली वित्तिय सहायता नही मिल सकेगी, कथन गलत लिखे हैं। यहां निवेदन है कि ग्रामवशींदा वा आसपास कहीं भी मुस्लिम आबादी नही है । बशीर ग्राम मं मुस्लिम जाति का एक भी घर नही है तथा प्रार्थी मुसलमान नही होकर जाति से मिरासी है। इसलिये प्रार्थनापत्र की चरण संख्या – 1 से 4 व अनुतोष में लिखे समस्त कथनों से इन्कारी है। प्रार्थी को हस्तगत प्रार्थनापत्र पेश करने की कोई विधिक अधिकारिता नही है क्योंकि वह किसी भी विधिक संगठन का प्रतिनिधी वअधिकृत शक्श नही है। अतः उसे प्रार्थनापत्र हाजा पेश करने की अधिकारिता नही है तथा प्रार्थी किसी अधिकारी पत्र के तहत या समुह का प्रतिनिधी नही है। व्यक्तिगत तौर पर किसी के बहकावें में आकर उसने यह प्रार्थनापत्र पेश किया है जोकि नाकाबिल चलने के है तथा उसे प्रार्थनापत्र पेश करने का अधिकार नही है । प्रार्थी मूल रूप से ग्राम बशीर का वासींदा नही है वह पिछले कुछ समय पूर्व बशीर में अन्य किसी गांव से आकर आबाद हुआ है। बशीर ग्राम वा बशीर पंचायत क्षेत्र में अर्सादराज से मुसलमान समुदाय वा जाति का एक भी घर नही है । भू–अभिलेख में कोई भी प्रविष्टी किसी भी अभिलेख में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश परिवर्तन नहीहो सकती । पर्चा खतौनी में शमशान की प्रविष्टी डी.सी.सी. या ए.सी.सी. तत्समय चकबंदी ऑपरेशन के समय सक्षम अधिकारी के आदेश से हुई है । पर्चा खतौनी मात्र एकबार ही सक्षम विभाग व सक्षम अधिकारियों के द्वारा तैयार की गई है जो अपने आप में एक स्वतंत्र अभिलेख है। पर्चा खतौनी सन् 1960 में सक्षम विभाग के सक्षम अधिकारियों के आदेश द्वारा तैयार की गई है। 1960 से लेकर उक्त प्रविष्टी को प्रार्थी या अन्य किसी ने चुनौती नही दी है। प्रार्थी ने किस हैसियत व अधिकार से प्रार्थनापत्र पेश किया है। वह प्रश्नगत प्रविष्टी से किस प्रकार प्रभावित है, व किस अधिकार के तहत वह प्रार्थनापत्र पेश कर रहा है, यह कहीं भी प्रार्थनापत्र में उलेख नही है। धारा 136, एल.आर. एक्ट के पूर्व के रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टी को आगे रिकार्ड में प्रविष्टी करते सम कोई अशुद्धि हो जाने पर ही धारा 136 के प्रावधान लागू होते हैं लेकिन हस्तगत मामले में जमाबंदी से आगे की जमाबंदी में प्रविष्टी परिवर्तन नही होकर पर्चा खतौनी की रूह से पर्चा खतौनी तैयार होने के पश्चात् की जमाबंदी में हुई है। अतः यह अशुद्धी का मामला नही है । जमाबंदी में कब्रिस्तान के स्थान पर शमशान दर्ज होना लिपकीय भूल एवं अशुद्धि की त्रुटि नही होने से मामला में धारा 136 एल. आर. ए. के प्रावधान लागू नही होते हैं। प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि नही होने से मामला घोषणा का व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है । अतः दावा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही है। प्रश्नगत भूमि में टीनेंसी एक्ट के प्रावधान लागू नही हो सकते क्योंकि प्रश्नगत भूमि जमाबंदी में कृषि भूमि नही है । इसलिये भी मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकर का नही होने खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज किये जाने का निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में सम्वत 2013 से 2016 के खतौनी जमाबंदी संख्या 63 के खसरा संख्या 79 में चार बीघा छः बिश्वा आराजी कब्रीस्तान के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी चकबंदी व मुरब्बाबंदी के वक्त पर्चा खतौनी तैयार करने के दौरान उपरोक्त वर्णित आराजी सहवन पर्चा खतौनी में कब्रिस्तान के स्थान पर गै०मु० मसान दर्ज कर दिया। वर्तमान में विवादित आराजी चक 1 डी.पी.एम के प.न. 198/234 गु.न. 20 कि.न. 22, 23 प.न. 198/ 235 गुन. 28 कि.न 23 कुल 1. 012 है0 आराजी की राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्ती की जाकर गै०मु० रघट (श्मशान) दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। उपरोक्त प्रकार से विवादित आराजी की किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान से गै0मु0 श्मशान दर्ज करने का सैटलमेंट विभाग के पास अधिकारी नहीं थे। राजस्व विभाग में उपरोक्त अंकन गलत दर्ज हुआ है। उपरोक्त वर्णित आराजी हमेशा से ही कब्रिस्तान के रूप में उपयोग व उपभोग होती चली आ रही है तथा आज भी इस आराजी को कब्रिस्तान के रूप में उपयोग व उपभोग किया जा रहा है जिसमें मुस्लिम धर्म के लोगों के मुर्दो को दफन किया जाता है, इस आराजी को कभी भी मसान के काम में नही लिया गया परन्तु पर्चा खतौनी तैयार करते वक्त सहबन से इस आराजी को गै0मु० मसान दर्ज कर दिया जिसकी वजह से यह आराजी आज भी गलत रूप से मश्सान के नाम से दर्ज बली आ रही है। इस गलत अंकन से समाज में कभी भी सांप्रदायिक विवाद हो सकता है तथा इस गलत अंकन की वजह से मुस्लिम समाज को कब्रिस्तान के लिए राज्य सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता नही मिल पा रही, इसलिए सहवन से हुए इस गलत अंकन को दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में 1996 आरआरडी पेज 288, 2002 आरआरडी पेज 336, 2009 आरआरडी पेज 456, 2015 (1) आरआरटी पेज 451, 2018(1) आरआरटी पेज 194 राज0 उच्च न्यायालय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भू–अभिलेख में कोई भी प्रविष्टी किसी भी अभिलेख में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश परिवर्तन नहीहो सकती । पर्चा खतौनी में शमशान की प्रविष्टी डी.सी.सी. या ए.सी.सी. तत्समय चकबंदी ऑपरेशन के समय सक्षम अधिकारी के आदेश से हुई है । पर्चा खतौनी मात्र एकबार ही सक्षम विभाग व सक्षम अधिकारियों के द्वारा तैयार की गई है जो अपने आप में एक स्वतंत्र अभिलेख है। पर्चा खतौनी सन् 1960 में सक्षम विभाग के सक्षम अधिकारियों के आदेश द्वारा तैयार की गई है। 1960 से लेकर उक्त प्रविष्टी को प्रार्थी या अन्य किसी ने चुनौती नही दी है। प्रार्थी ने किस हैसियत व अधिकार से प्रार्थनापत्र पेश किया है। वह प्रश्नगत प्रविष्टी से किस प्रकार प्रभावित है, व किस अधिकार के तहत वह प्रार्थनापत्र पेश कर रहा है, यह कहीं भी प्रार्थनापत्र में उलेख नही है। धारा 136, एल. आर. एक्ट के पूर्व के रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टी को आगे रिकार्ड में प्रविष्टी करते सम कोई अशुद्धि हो जाने पर ही धारा 136 के प्रावधान लागू होते हैं लेकिन हस्तगत मामले में जमाबंदी से आगे की जमाबंदी में प्रविष्टी परिवर्तन नही होकर पर्चा खतौनी की रूह से पर्चा खतौनी तैयार होने के पश्चात् की जमाबंदी में हुई है। अतः यह अशुद्धी का मामला नही है । जमाबंदी में कब्रिस्तान के स्थान पर शमशान दर्ज होना लिपकीय भूल एवं अशुद्धि की त्रुटि नही होने से मामला में धारा 136 एल. आर. ए. के प्रावधान लागू नही होते हैं। प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि नही होने से मामला घोषणा का व सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है । अतः दावा न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही है। प्रश्नगत भूमि में टीनेंसी एक्ट के प्रावधान लागू नही हो सकते क्योंकि प्रश्नगत भूमि जमाबंदी में कृषि भूमि नही है । इसलिये भी मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकर का नही होने खारिज होने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2020 (1) पेज 91, आरआरटी 2020 (2) पेज 932, आरआरटी 2015 (1) पेज 10, आरबीजे 2018 पेज 659, आरआरटी 2021 (1) पेज 622 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपनिवेशन विभाग द्वारा जब किसी क्षेत्र का चकबंदी प्रकिया के दौरान सर्वे कार्य किया जाता है तो भू–राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही सर्वे कार्य किया जाता है। उपनिवेशन विभाग द्वारा सर्वे कार्य के दौरान भूमि के मौके अनुसार चकतराशी/भू–वर्गीकरण का कार्य किया जाता है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियों–श्मशान, कब्रिस्तान, चारागाह, जोहड़ का तत्समय मौके पर उपयोग व ग्राम में निवास करने वाले अलग–अलग धर्म संप्रदायों की आबादी की विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए भूमि वर्गीकरण किया जाता है। फिर पर्चा खतौनी तैयार कर आपत्तियां आमंत्रित कर फिर आपत्तियों का निस्तारण कर पर्चा खतौनी को अंतिम रूप से तैयार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में भी न्यायालय के अभिमत में उपनिवेशन विभाग की पर्चा खतौनी में जो गै0मु0 श्मशान का अंकन हुआ है वह तत्समय की भूमि के मौके के उपयोग अनुसार विभिन्न धर्म संप्रदायों की ग्राम में तात्कालीन आबादी की आवश्यकताओं को देखते हुए उपनिवेशन विभाग द्वारा किया गया है न कि अशुद्वि के रूप में अंकन हुआ है। वैसे भी भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में केवल ऐसी लिपिकीय त्रुटियों को शुद्व करने का प्रावधान है जिसे हितबद्व पक्षकार स्वीकार करें। एलआरएक्ट 136 के अन्तर्गत भूमि की प्रकृति/किस्म को बदले का अधिकार न्यायलय हाजा को नहीं है। हस्तगत प्रकरण में न तो हितबद्व पक्षकारों की सहमति है व न ही उक्त प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की लिपिकीय त्रुटि की परिधी मे आता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/10/21 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner